न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या :88/2017

1. सोनू बाई पुत्री सतनाम सिंह उम्र 16 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली सरपरस्त माता नसीब कौर पत्नी सतनाम सिंह जाति बावरी निवासी चक 59 एफ आवाद चक 1 एक्स तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. बलकार सिंह पुत्र सतनाम सिंह उम्र 14 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली सरपरस्त माता नसीब कौर पत्नी सतनाम सिंह जाति बावरी निवासी चक 59 एफ हाल आवाद चक 1 एक्स तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. अमनदीप पुत्र सतनाम सिंह उम्र 9 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली सरपरस्त माता नसीब कौर पत्नी सतनाम सिंह जाति बावरी निवासी चक 59 एफ हाल आवाद चक 1 एक्स तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. नसीब कौर पत्नी सतनाम सिंह जाति बावरी निवासी चक 59 एफ हाल आवाद चक 1 एक्स तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

--प्रार्थीगण--

बनाम

1. सतनाम सिंह पुत्र गुरमुख सिंह जाति बावरी निवासी चक 59 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

--अप्रार्थी--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 16/4/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी ए पेश कर निवेदन किया कि चक 59 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता स0 39 के मु0न0 31 का किला न0 4 ता 7 प्रत्येक 0.253 है0 नहरी, 13/2 में 0.126 है0, 14 ता 18 प्रत्येक 0.253 है0,23 व 24 प्रत्येक 0.228 है0 व किला न0 25 में 0.227 है0 नहरी रकबा कुल 3.086 है नहरी रकबा में अप्रार्थी सतनाम सिंह के नाम 0.332 है0 नहरी रकबा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। शेष रकबा अन्य खातेदारों के नाम दर्ज है। चक 59 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 40 का मु0नं0 32 का किला न0 1 ता 25 प्रत्येक 0.253 है0 नहरी रकबा कुल 6.325 है0 नहरी रकबा में अप्रार्थी सतनाम सिंह के नाम 1.213 है0 नहरी रकबा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। शेष रकबा अन्य खातेदारों के नाम दर्ज है। चक 59 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2072 -2075 के खाता संख्या 41 का मु0न0 40 का किला न0 1 ता 4 प्रत्येक 0.253 है0, किला न0 5 व 6 प्रत्येक 0.228 है0, 7 ता 10 प्रत्येक 0.253 है, नहरी रकबा कुल 2.480 है0 नहरी रकबा व मु0न0 48/15 में 0.050 है0 गैरमुमकिन खाला कुल खाता योग 2.530 है0 नहरी रकबा में अप्रार्थी सतनाम सिंह के नाम 0.633 है0 नहरी रकबा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है शेष रकबा अन्य खातेदारों के नाम दर्ज है। अप्रार्थी सतनाम सिंह को यह नहरी रकबा मय गैरमुमकिन खाला अपने दादा नानक सिंह, दादी करतार कौर व माता जलकौर आदि से जरिए विरास्त इन्तकाल प्राप्त हुआ है। उक्त भूमि अप्रार्थी को विरास्त में प्राप्त होने के कारण उक्त भूमि हिन्दू मुश्तर्का खानदान की कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि पैतृक सम्पति की परिभाषा में आती है। इसलिए प्रार्थीगण न0 1 ता 3 जन्म से ही उपरोक्त विरास्तन आराजी में हक व हिस्सा प्राप्त करने की हकदार है तथा प्रार्थी स0 4 अप्रार्थी की पत्नी होने के कारण अप्रार्थी से अपना हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारणी है व दावा पेश करने की अधिकारी है। अप्रार्थी ने प्रार्थीगण को घर से निकाल रखा है प्रार्थीगण भी अप्रार्थी के जायज वारिसान होने के कारण उपरोक्त आराजी में अपना 1/5-1/5 हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण कुछ रोज पूर्व अप्रार्थी से मिले और प्रार्थीगण को उपरोक्त भूमि में से उनके हिस्सा मुताबिक प्रार्थीगण के नाम लगवा देने को कहा तो अप्रार्थी ऐसा करने से साफ

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

इन्कार हो गया और कहने लगा कि वह अतिशीघ्र उक्त आराजी अपने नाम होने का नाजायज फायदा उठाते हुये अपना व प्रार्थीगण का हक व हिस्सा को रहन ,बैय, वसीयत कर देगा। यदि अप्रार्थी ने ऐसा किया तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार से सम्भव नही है। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोक पाने के अधिकारी है व दावा व प्रार्थना पत्र ला पाने के अधिकारी है। दावा पेश करने से 2 रोज पूर्व प्रार्थीगण पुनः अप्रार्थी से मिले और अपने हक व हिस्से की भूमि अपने नाम लगवाने के लिए कहा तो उसने इन्कार कर दिया । प्रथम दृष्टया मामला, राईट एवं टाईटल तथा सुविधा का सतुलंन प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि मूलः वाद के निर्णय तक अप्रार्थी के विरूद्व इस आशयः की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की चक 59 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 खाता स0 39 में अप्रार्थी के नाम दर्ज 0.322 है0 भूमि खाता स0 40 में अप्रार्थी के नाम दर्ज 1.213 है0 भूमि खाता स0 41 में अप्रार्थी के नाम 0.623 है0 भूमि इस प्रकार इन तीनो खातों में अप्रार्थी के नाम दर्ज 2.167 है0 रकबा को किसी भी प्रकार से स्थानान्तरित नही करे एवं मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थनापत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की तलबी विधिवत रूप से होकर प्राप्त होने के बावजूद उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

बहस एकपक्षीय सुनी गयी प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थनापत्र में अकिंत तथ्यों को दोहरातें हुए प्रार्थनापत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी के नाम चक 59 एफ ए के खाता स0 39,40,41 में दर्ज 2.167 है0 भूमि के सम्बंध में अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है। प्रार्थनापत्र में निवेदन किया है कि अप्रार्थी को यह भूमि विरास्तन प्राप्त हुई है इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थी से अपना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। राज0 काशतकारी अधिनियम की धारा 212 के तीनो बिन्दुओं पर विचार किया गया। प्रार्थीगण को अप्रार्थी की भूमि से कोई हक या हिस्सा प्राप्त होना है कि नही यह, तथ्य मूलवाद में साक्ष्य से तय होना है परन्तु प्रार्थीगण के हक एवं हिस्सा तक की भूमि को संरक्षित रखा जाना आवश्यक है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सतुंलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में दि0 06.11.2017 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूलवाद के निर्णय तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 16/5/17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

{श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner